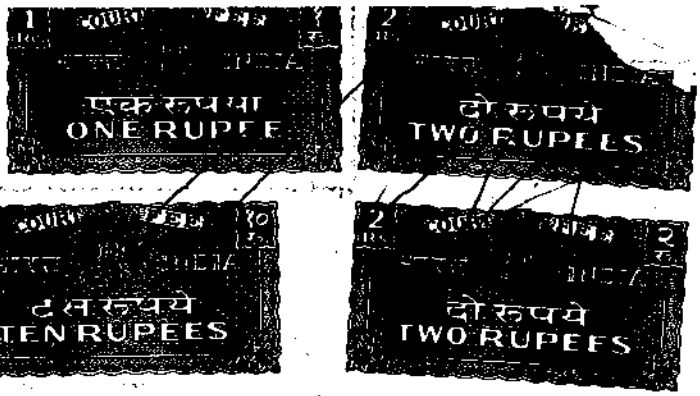

(215)

R-977-III/2003

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (उज्जैन प्रवास पर)

प्रकरण क्रमांक १०३-०३ पुनरीक्षण

भगवानसिंह पिता धीसुसिंहजी राजपूत
निवासी ग्राम लाखाखेड़ी तहसील आगर
जिला शाजापुर (म0प्र0) --- आवेदक

वि रु द्ध

१:- समीउल्लाखान पिता अमीरउल्ला खान
निवासी ग्राम पिपल्या शाह

२:- मध्य-प्रदेश शासन --- अनावेदकगण

विषय :- माननीय न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन संभाग द्वारा प्र0 क्र0 ३१७।०२-०३ अपील में प्रदत्त आदेश दिनांक ३०-४-२००३ से असंतुष्ट होकर पुनरीक्षण का ज्ञापन

मान्यवर महोदय,

आवेदक की ओर से अन्य आधारों के अतिरिक्त निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण का ज्ञापन प्रस्तुत है ::-

१:- यह कि विषयांकित द्वितीय अपील में पुनरीक्षणग्रस्त आदेश प्रदान करने में विद्वान अधिनस्थ योग्य न्यायालय ने गंभीर क्षेत्राधिकार संबंधी व विधि और विधान के विरुद्ध आदेश पारित करने में गंभीर भूल की है अतः प्रदत्त आदेश दिनांक ३०-०४-०३ निरस्त किये जाने योग्य है [redacted]।

२:- यह कि आवेदक ने अवधि विधान की धारा ५ के अपने आवेदनपत्र के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र भी प्रस्तुत किया है । शपथपत्र का खण्डन किसी भी प्रकार से हुआ नहीं है लेकिन शपथपत्र पर विचार नहीं करने में विद्वान अधिनस्थ योग्य न्यायालय ने गंभीर क्षेत्राधिकार संबंधी भूल की है अतः प्रदत्त आदेश दिनांक ३०-०४-०३ निरस्त किये जाने योग्य है ।

३:- यह कि शपथपत्र का खण्डन किसी प्रकार से नहीं हुआ है और जब तक खण्डन नहीं होता है तब तक शपथपत्र की अन्तर्वस्तु कथन सही माने जाने यो

- २

215

142

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-977-तीन/2003

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों/अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-08-2019	आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 24-09-2009 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अत: यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	